न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज०)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)
प्रकरण संख्या–95/2008 वादपत्र

दायर दिनांक– 20.05.2008
आदेश दिनांक–10.05.2023

1. श्री नारायणलाल पिता खेमा कलाल, निवासी– भाणदा तहसील–खैरवाड़ा, जिला– उदयपुर (राज.)

--- वादी ---

–बनाम–

1. श्री भगवतीलाल पिता खेमाजी कलाल वगैरह निवासी– भाणदा तहसील– खैरवाड़ा, जिला–उदयपुर (राज०)

क्रम संख्या 1 से 6 तक

--- प्रतिवादीगण---

दावा बाबत् बॅटवाडा धारा 53 एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 तक एक ही पिता की संताने है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 के माता–पिता का देहान्त हो चुका है। मौजा भाणदा, पटवार सर्कल भाणदा में वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 तक की संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है जिसका खाता नम्बर 129/120 जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 की आराजी नम्बर 1719 रकबा 0.04, 1720 रकबा 0.15 एवं 1782 रकबा 0.05 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टेयर है। वादी भाईयों में सबसे बड़ा पुत्र है एवं अब उसकी उम्र काफी होकर वृद्ध हो चुका है उसका परिवार है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 का भी परिवार होकर काफी उम्र हो चुकी है। उक्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उनके बीच उपरोक्त आराजीयात का पांति बॅटवाडा नहीं हुआ है। भूमि का बॅटवाडा नहीं होने से फसले बॉटने तथा अन्य कृषि कार्यो के बारे में विवाद होता रहता है। इसलिए बॅटवाडा कराया जाना आवश्यक हो गया है। संयुक्त खाते की कुल आराजी किता 3 रकबा 0.24 हेक्टर में 1/5 हिस्सा वादी का है शेष प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है। वाद कारण दिनांक 07.05.2008 को पैदा हुआ। आराजी नम्बर 1719 में प्रतिवादी संख्या 5 कृषि कार्य के लिए उतारू हुआ , मौके पर वादी ने रोका तथा पूछे जाने पर बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर खेती करने की ईजाजत दी है। जिस पर प्रतिवादीगण नाराज होकर वादी के हितों को नुकसान पहुॅचाने पर आमादा है। इसलिए वादी द्वारा विधिवत् पांती बॅटवाडा के लिए यह दावा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध तथा प्रतिवादी नं. 5 वादी की बिना सहमति से पूरी आराजी पर काश्त करता है इसलिए उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाही गई है।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। जिसमें बताया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक दोनों की मातायें अलग–अलग थी। वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे में हो यह कहना गलत है बल्कि प्रतिवादी नं. 1 से 4 तक का उक्त आराजीयात पर एकल कब्जा है सिर्फ खाते में नाम गलती से चढ गया इस वजह से संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का बॅटवाडा 45 वर्ष पूर्व होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के समय से स्वतन्त्र रूप

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

से अधिक है। वादी अपना हिस्सा पूर्व में ले चुका है। वादी ने 45 वर्ष पूर्व स्वेच्छा से पारिवारिक सदस्यों को पिता से अलग हो चुका है। अब अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की दुर्भावना से यह दावा पेश किया है। वादी का उक्त आरजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह संयुक्त परिवार का ही रह गया है, तो उसे बँटवाडा कराके 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होने का कथन असत्य है तथा वर्णित दिनांक का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ, न ही उस दिन पहली बार प्रतिवादी संख्या 5 कृषि हेतु वर्णित आराजी में प्रविष्ट हुआ न कोई नये सिरे से कृषि की इजाजत दी, न कोई सम्भावना ही है। चूंकि उपरोक्त आराजीयात से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है प्रतिवादी नं. 5 करीब 15 वर्षों से तीनों आराजी पर सिजारा के रूप में प्रतिवादी नं. 1 से 4 की ओर से कृषि करता आ रहा है। कोई नया सिजारा आरम्भ नहीं किया और न दिनांक 07.05.2008 को कोई घटना हुई, बल्कि काल्पनिक आधार सृजित किये है जो चलने योग्य नहीं है। वाद आधारहीन है। अतिरिक्त कथन में बताया है कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 4 स्व. खेमा कलाल के पुत्र है परन्तु वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 4 तक की माताएँ अलग-अलग है। वादी की माता के देहान्त के बाद श्री खेमाजी ने प्रतिवादीगण की माता श्रीमति हाकेर देवी से विवाह किया । सौतेली माँ के आने के उपरान्त वादी उस समय बड़ा था। उसका सौतेली माँ से सामंजस्य नहीं बैठा तब काफी जद्दो जहद उपरान्त पंचों के मध्यस्थता से दिनांक 16.06.1962 (संवत् 2018 की जेठ सुदी तेरस) को वादी एवं पिता के मध्य संयुक्त परिवार की पुश्तैनी जायदाद का बँटवाडा हो गया। संयुक्त परिवार विखण्डित हो गया, पुश्तैनी जायदाद का बँटवाडा ही हो गया तब से वादी अपने हिस्से आई भूमियां प्राप्त कर उन पर स्वतन्त्र रूप से काबिज है एवं अकेले उपयोग कर रहा है। वादी का श्री खेमाजी के संयुक्त परिवार अथवा उसकी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। कई प्रतिवादी तो उक्त बंटवाडे के बाद पैदा हुऐ है। उक्त बँटवाडा वादी ने स्वेच्छा से निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर किये है उसे प्रवृत भी किया है एवं वादी ने लाभ भी लिए है तो वह न तो बंटवाडे से इन्कार कर सकता है और न अब प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में आई जायदाद जो कि उनकी स्वअर्जित आय की श्रेणी में आती है उस बाबत् कोई क्लेम करने का हक नहीं रखता है, मात्र पुत्र होने के कारण रूटिंग में श्री खेमाजी की मृत्युपरान्त इन्तकाल में वादी का नाम जुड जाने एवं इस कारण वह खातेदार बन गया है। प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 तक अधिकतर कामकाज के कारण बाहर रहते है, इसलिए विगत् 15 वर्षो से प्रतिवदी नं. 5 को बतौर सिजारा कार्य कर रहा है एवं फसल प्राप्त करता आ रहा है। वादी एवं उनके पिता के साथ हुए बंटवाडे में कुल पुश्तैनी जायदाद का आधा हिस्सा हो चुका है जो आज यदि बँटवाडा होता तो उसके हिस्से हिस्से आने वाली सम्पत्ति से कई गुणा अधिक वह प्राप्त कर चुका है। वर्ष 1962 में वादी व पिता के मध्य बंटवाडा लिखित में हो चुका है जिसकी पालना हो चुकी है परन्तु विकल्प में निवेदन है कि यदि न्यायालय बंटवाडा न होना अभिनिर्धारित करे, तब भी प्रतिवादीगण की पूर्व में वादी द्वारा प्राप्त सम्पत्ति एवं उसके फलोपयोग को सम्मिलित करते हुऐ समग्ररूपेण बँटवाडा कराया जावें। बँटवाडे उपरान्त विगत् 45 वर्षो से अधिक समय से वादी विवादीत आराजीयात के कब्जे से अलग है स्वयं उसे पिता के हक में छोड चुका है, अपने हकों का परित्याग कर चुका है, उस पर पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक लगातार निर्बाध स्वतन्त्र रूप से काबिज है, उपयोग उपभोग करते आ रहे है। ऐसे में यदि कोई हक वादी का होता तो भी समाप्त हो चुका है, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उसके पूर्ण स्वामी, अधिकारी हो चुक है। सह खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावा वादी के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुऐ बताया है कि उपरोक्त आराजीयात में खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 के पिता की मृत्यु के बाद भी वादी ने कोई उजर नहीं किया । परन्तु अब उसके मन में खोट आ गई है इसलिए अतिरिक्त बँटवाडा हेतु दावा पेश

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

किया है, श्रीमति हावेर बेवा सोमा वाद प्रस्तुत करते वक्त जीवित थी जो सह खातेदार थी जिसके मृत्यु दौराने वाद हुई है जिसने अपना हिस्सा प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत अपने जीवनकाल में ही कर दी गई है। मात्र रूटिन में नामान्तरकरण में वादी का नाम दर्ज हुआ है जिसे राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी से हटाया जाने की घोषणा करना जरूरी है। वादी का राजस्व रेकार्ड में नाम होने के आधार पर नाम का दुरूपयोग कर जबरन हिस्सा लेना चाहता है। अन्त में निवेदन किया है कि वादी का विरासत हक से नामान्तरकरण के जरिये गलत दर्ज होने से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर सहखातेदार वादी का नाम हटाये जाने की घोषणा प्रतिवादीगण के पक्ष में की जाये, तथा वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी नं. 1 से 4 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। वादी का वाद एवं प्रतिवादी के प्रतिदावे अनुसार निम्न तनकीयात कायम की गई ।

1. आया ग्राम भाणदा की आ.नं. 1719, 1720, 1782 कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टर स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि है वादी अपना 1/5 हिस्सा पृथक कराकर पृथक खाता कायम करने का अधिकारी है।

–वादी–

2. आया प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर जबरन दखलनदाजी करने के कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–वादी–

3. आया वादी अपना हिस्सा 45 वर्ष पूर्व ले चुका है, विवादित आराजी संयुक्त आराजी नही बची, उसमें एक मात्र अधिकार प्रतिवादीगण का होने से वादी कोई हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

–प्रतिवादी–

4. आया प्रतिवादीगण सहखातेदार होने से उनके विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

–प्रतिवादी–

वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया है तथा दस्तावेज सबूत में जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श–1, पासबुक की छायाप्रति प्रदर्श 2 एवं नक्षा ट्रेस प्रदर्श 3 प्रस्तुत किये है। वादी व उनके अधिवक्ता और कोई शहादत सबूत पेश नहीं करना चाहते है तथा प्रतिवादीगण एवं वादी की तरफ से दिनांक 11.05.2023 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 में मजमे आम दोनों पक्षों ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि मौके पर कब्जे अनुसार भौतिक रूप से विभाजन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता एवं उपस्थित पक्षकारों को सुनाया गया । पक्षकारों के बीच सहमति होने से तनकीवार निर्णय नहीं लिखा गया। प्रस्तुत सहमति अनुसार वादी का वाद, प्रार्थना पत्र डिक्री किया जाता है कि मौजा भाणदा की आराजी नम्बर 1719 रकबा 0.04, 1720 रकबा 0.15 एवं 1782 रकबा 0.05 कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टर भूमि का मौके पर विधिवत् बॅटवाडा कर वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा कर उन्हें मौके पर कब्जा सिपुर्द कराया जावे तथा प्रत्येक के पांति बॅटवाडा में आई भूमि का अलग–अलग खाते कायम किये जावें। पूर्व में भौतिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी के हुए बॅटवाडे को मध्यनजर रखते हुए किया जावें। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी नं. 1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के हिस्से में आई भूमि में कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में प्रतिवदीगण हस्तक्षेप अथवा रोक–टोक नहीं करे। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खैरवाडा को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि.उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

बंटवाडा हेतु तहसीलदार खैरवाडा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कोर्ट कमिश्नर की शुल्क राशि 1000/–रू. वादी वहन करेगा ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमे आम प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 दिनांक 10.05.2023 केम्प भाणदा सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमे हब्तदाई

(आदेश–02 रूल 6–7 जा. दी.)

अदालत– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
व इजलास– श्री राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

1. श्री नारायणलाल पिता खेमा कलाल, निवासी– भाणदा तहसील–खैरवाड़ा, जिला– उदयपुर (राज.)

बनाम

1. भगवतीलाल पिता खेमाजी कलाल वगैरह निवासी– भाणदा तहसील– खैरवाड़ा, जिला–उदयपुर (राज०)

क्रम संख्या 01 से 06

दावा – दावा बाबत् बॅटवाडा धारा 53 एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 95/2008 राजस्व वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री किया है कि मौजा भाणदा की आराजी नम्बर 1719 रकबा 0.04, 1720 रकबा 0.15 एवं 1782 रकबा 0.05 कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टर भूमि का मौके पर विधिवत् बॅटवाडा कर वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा कर उन्हें मौके पर कब्जा सिपूर्द कराया जावे तथा प्रत्येक के पांति बॅटवाडा में आई भूमि का अलग–अलग खाते कायम किये जावें। पूर्व में भौतिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी के हुए बॅटवाडे को मध्यनजर रखते हुऐ किया जावें। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी नं. 1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के हिस्से में आई भूमि में कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में प्रतिवदीगण हस्तक्षेप अथवा रोक–टोक नहीं करे। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खैरवाडा को लिखा जावे।

मुबलिक – बाबत – खर्चा इस –

मुकदमे

के मय सुद व शहर – फसदी सालाना आज की तारिख से तारिख

वसुलीणबी तक – का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 10.05.2023

उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

मुदई रूपय पैसा मुदायत रूपया पैसा			
स्टाम्प अरजी दावा	2/–रू	स्टाम्प अरजी वकालतनामा	1/–रू
स्टाम्प वकालतनामा	2/–रू	स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
महनताना वकील (फा.)			
महनताना वकील (फा.)			
बावत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
मुतफरिक	2/–रू	मुतफरिक	
मीलानः–	6/–रू	मीजानः–	1/–रू

Scanned with CamScanner